



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Regional Office, Lucknow

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

Under Ministry of Education, Govt. of India

पत्रांक सं० 26098(परिपत्र)/2025/केविस(क्षेका)/लखनऊ/ 22833-22891

दिनांक : 12-10-2026

केवल ई-मेल

प्राचार्य

समस्त केन्द्रीय विद्यालय,

लखनऊ संभाग।

विषय:- शिक्षकों/कार्मिकों द्वारा किसी भी प्रकार के सेवा संबंधी अथवा विभागीय संप्रेषण हेतु निर्धारित उचित माध्यम (Proper Channel) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

संदर्भ: केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली का परिपत्र सं. 11-Acad029(Misc)/13/2026-Academic/C-400008/8249 दिनांक 07-10-2026 (प्रति सलग्न)

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की विषयवस्तु से विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों को अनिवार्य रूप से अवगत कराते हुए यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार के सेवा संबंधी अथवा विभागीय प्रकरण में पत्राचार/संप्रेषण निर्धारित उचित माध्यम (Proper Channel) के माध्यम से ही किया जाए।

पूर्व में भी इस कार्यालय के पत्र सं० 26061/2024-25/केविस(लक्ष)/प्रशा./50173-50236 दिनांक 24-01-2025 द्वारा एवं समय-समय पर भी निर्देशित किया गया कि गणमान्य व्यक्तियों, भारत सरकार के प्राधिकारियों अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के उच्चाधिकारियों को सीधे भेजे गये आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि निर्धारित माध्यम का पालन नहीं किया जाता है तो यह CCS(CCA) Rule 1964 के नियम 3(i)(iii) का उल्लंघन माना जाएगा एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध CCS(CCA) Rule 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

सलग्नक:- यथोपरि।

भवदीया

(सोना सेठ)

उपायुक्त



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्य०)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान

18 मंत्रालय क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016.

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)

An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India

18, Institutional Area, S.J.S Marg, New Delhi-110016.

Tel.:011-26521841

Website: www.kvsangathan.nic.in

ई-मेल / त्वरित डाक द्वारा

F.No.11-Acad029 (Misc)/13/2026-Academic/C-40008/ 8249

दिनांक: 07.10.2026

उपायुक्त/ निदेशक,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
सभी संभागीय कार्यालय/ ZIETs

(mm)
08/10/26
प्र.अ. अ. म. व. 299
08/10/2026

विषय: शिक्षकों/ कार्मिकों द्वारा किसी भी प्रकार के सेवा संबंधी अथवा विभागीय संप्रेषण के लिए निर्धारित उचित माध्यम (Proper Channel) का कड़ाई से अनुपालन करने के संबंध में अनुदेश।

महोदया/ महोदय,

उपरोक्त विषयगत सभी कार्मिकों को सुलभ उचित विभागीय संप्रेषण माध्यमों की कड़ाई से अनुपालना करने तथा उनके द्वारा गणमान्य व्यक्तियों, भारत सरकार के प्राधिकारियों अथवा KVS के उच्चाधिकारियों को सीधे ही भेजे जाने वाले अनावश्यक संप्रेषणों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से Education Code for KVs, Article 59 बिन्दु 2/ का स्मरण कराते हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) की स्थापना शाखा एवं अन्य अनुभागों/ शाखाओं द्वारा समय समय पर सभी के.वि.सं. संभागीय कार्यालयों के उपायुक्तों को व्यापक प्रचार प्रसार एवं अवहेलना करने वाले कार्मिकों पर नियमों के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई करने हेतु अनुदेश निर्गत किए गए हैं।

हाल में भी ऐसे कई प्रकरणों में KVS के शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा सुलभ उचित विभागीय संप्रेषण माध्यमों की अवहेलना करते हुए अपना संप्रेषण, आवेदन या अनुरोध को सीधे आयुक्त, के.वि.सं. महोदय अथवा अन्य उच्चाधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों, मंत्रालयों आदि को भेजा जा रहा है।

इस संदर्भ में निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार, KVS में उच्च अधिकारियों को संबोधित कोई भी संप्रेषण, आवेदन या अनुरोध केवल उचित विभागीय संप्रेषण माध्यम से ही अग्रेषित कराकर भेजा जाना चाहिए एवं अग्रेषण करने वाले अधिकारी द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अनुरोध पत्र/प्रतिवेदन उच्च स्तर पर भेजने से पहले तथ्यों का भली भांति सत्यापन करना और उनपर अपनी स्पष्ट टिप्पणी, संस्तुति व अनुशंसा देना अनिवार्य है ताकि विभागीय कार्यप्रणाली सुचारु एवं प्रभावी बनी रहे।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्राचार्यों को इस संबंध में कड़े निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें कि प्रत्येक प्राचार्य अपने आधिस्थ सभी शिक्षकों/ कार्मिकों को स्पष्ट रूप से सूचित करें कि गणमान्य व्यक्तियों, भारत सरकार के प्राधिकारियों अथवा KVS के उच्चाधिकारियों को सीधे भेजे गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, वरन ऐसा करने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

भवदीय,

(विनोद कुमार)
उपायुक्त (शैक्षिक)

सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिलिपि: सभी अधिकारी गण एवं कार्मिक, विभिन्न स्कन्ध/ शाखा/ अनुभाग/ कोष्ठ/ प्रकोष्ठ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली-110016।